फोन नं. 07723–223834
फैक्स नं. 07723–224036
email : zp-msamund.cg@nic.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्र./ 1000 /जि.प./MGNREGA/2019–20 महासमुन्द, दिनांकः 15/10/2019

प्रेसविज्ञप्ति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर रिक्त पद की संविदा भर्ती हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 11601/MGNREGS/जि.पं./2018–19 महासमुंद, दिनांक 21/12/2018 जारी किया गया था। जिसके तहत कार्यक्रम अधिकारी, पद हेतु दिनांक 08.09.2019 तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था। प्राप्त दावा आपत्ति का चयन समिति द्वारा निराकरण कर दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा दिनांक 25.09.2019 को कार्यालय जिला पंचायत महासमुंद में आयोजित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा निरस्त कर दी गई थी।

अतः दिनांक 23.10.2019 को पुनः प्रातः 11:00 बजे से उपरोक्त पद हेतु **कार्यालय जिला पंचायत महासमुंद** में दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा आयोजित की गई है। जिसके लिए अभ्यर्थीयों को बुलावा पत्र जारी किया गया है। पूर्व में जारी दावा आपत्ति निराकरण सूची एवं दावा आपत्ति उपरांत पात्र अभ्यर्थीयों की मेरिट सूची तथा दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा हेतु 1:10 में अभ्यर्थीयों की सूची का अवलोकन कार्यालयीन सूचना पटल व जिले की वेबसाईट www.mahasamund.gov.in एवं छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट पर www.cgstate.gov.in पर किया जा सकता है।

अभ्यर्थीयों को दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु पुनः बुलावा पत्र भेजा जा रहा है, पत्र नही मिलने की स्थिति में पूर्व में जारी दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा हेतू वेबसाईट पर जारी सूची के अनुसार ही अभ्यर्थी नियत तिथि समय एवं स्थान में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, नियत तिथि व समय पश्चात् उपस्थिति मान्य नही होंगी।

Rami

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द

पृ.क्र./ 10002 /जि.प./MGNREGA/2019–20 महासमुन्द, दिनांकः 15/10/2019

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन ,सी–36, द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर को सूचनार्थ । कृपया प्रेष विज्ञप्ती का प्रकाशन छत्तीसगढ़ शासन की www.cgstate.gov.in के पोटल पर Upload करने का कष्ट करेंगे।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी. जिला महासमुन्द को सूचनार्थ। कृपया प्रेष विज्ञप्ती का प्रकाशन जिले की Website में Upload करने हेतु । (आई टी एक्ट 2000 एवं आधार एक्ट 2016 का पालन किया गया है।)
5. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

Rami

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द